POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनाकं 10.04.2024

1.थाना एएचटीयू एवं थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई करते हुए ओयो होटल में अनैतिक देह व्यापार चलाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 07 अभियुक्त गिरफ्तार किये गये एवं 07 महिलाओं का रेस्कयू कराया गया। कब्जे से 11 मोबाइल (भिन्न भिन्न कम्पनी के), 12,110 रूपये नगद एवं अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 10.04.2024 को थाना एएचटीयू एवं थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस टीम को लोकल इंटेलीजेंस व गापेनीय सूचना के आधार पर जानकारी प्राप्त हुई कि बहलोलपुर क्षेत्र के शीतला ओयो होटल में अनैतिक देह व्यापार चल रहा है। उक्त सूचना पर एसीपी प्रथम सेन्ट्रल नोएडा के नेतृत्व में एएचटीयू पुलिस टीम एवं थाना सेक्टर 63, नोएडा पुलिस टीम द्वारा उक्त ओयो होटल में छापेमारी कर अनैतिक देह व्यापार में शामिल 07 आरोपी क्रमशः 1-अजरूद्दीन उर्फ अज्जू पुत्र अलाउद्दीन 2-अख्तर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद शमशाद 3-सुमित कुमार पुत्र राजेन्द्र 4-धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 हुकम सिहं 5-मो0 फैय्याज पुत्र सलीम 6-फरमान पुत्र सलीम 7-मरगूम आलम पुत्र सुलेमान को शीतला ओयो होटल ग्राम बहलोलपुर से **गिरफ्तार** किया गया है। इनके कब्जे से पुलिस द्वारा 11 मोबाइल (भिन्न-भिन्न कम्पनी के), 12,110 रूपये नगद, 02 एंट्री रजिस्टर, 100 विजिटिंग कार्ड एवं अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। मौके से 07 महिलाओं को रेस्कयू कराया गया, जिसके सम्बन्ध में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- गिरफ्तारशुदा आरोपी शीतला ओयो होटल बहलोलपुर में महिलाओं/पीड़िताओं को दबाव बनाकर पैसे का लालच देकर ग्राहकों को बुलाकर वेश्यावृत्ति कराकर ग्राहको से पैसे लेते थे तथा इनमे से कुछ पैसे इन महिलाओं/पीड़िताओं को देते थे और कुछ पैसे अपने पास रखते थे। ओयो होटल मालिक सुरेन्द्र यादव पुत्र किरण यादव निवासी बहलोलपुर द्वारा होटल को अनैतिक देह व्यापार हेतु प्रयोग कराया जा रहा था, जिसके लिए विधिक कार्रवाई की जा रही है। ओयो होटल मालिक सहित कुल 03 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु हर सम्भव प्रयास जारी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. अजरूद्दीन उर्फ अज्जू पुत्र अलाउद्दीन निवासी सदबेली चमापड़ा, थाना कसवा, जिला पूर्णिया, बिहार वर्तमान पता बहलोलपुर की झुग्गी, थाना सेक्टर-63, नोएडा(उम्र 40 वर्ष)।
2. अख्तर मोहम्मद पुत्र मोहम्मद शमशाद निवासी भोकड़ी, थाना अमौर, जिला पूर्णिया, बिहार वर्तमान पता डीपीएस, ग्राम कनावनी, थाना इन्द्रापुरम, गाजियाबाद (उम्र 35 वर्ष)।
3. सुमित कुमार पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम सिहानी, थाना नन्दग्राम, जिला गाजियाबाद (उम्र 22 वर्ष)।

4. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 हुकम सिहं निवासी पुराना विजयनगर, थाना विजयनगर, जनपद गाजियाबाद हाल डुपलैक्स सोसाइटी सेक्टर-12, वसुन्धरा, थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद (उम्र 40 वर्ष)।
5. मो0 फैय्याज पुत्र सलीम निवासी ग्राम महादेवपुर, थाना बलरामपुर, जिला कटिहार, बिहार वर्तमान पता शीतला होटल, ग्राम बहलोलपुर, थाना सेक्टर-63, नोएडा (उम्र 28 वर्ष)।
6. फरमान पुत्र सलीम निवासी ग्राम महादेवपुर, थाना बलरामपुर, जिला कटिहार, बिहार वर्तमान पता शीतला होटल, ग्राम बहलोलपुर, थाना सेक्टर-63, नोएडा (उम्र 30 वर्ष)।
7. मरगूम आलम पुत्र सुलेमान निवासी भोकड़ी, थाना अमोर, जिला पूर्णिया, बिहार वर्तमान पता डीपीएस कनवानी, गाँव की झुग्गी झोपड़ी, गौतमबुद्धनगर (उम्र 28 वर्ष)।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 176/24 धारा 370 भादवि व धारा 3/4/5/6 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम थाना सेक्टर-63, नोएडा।

बरामदगी का विवरण--

1. 11 मोबाइल (भिन्न भिन्न कम्पनी के)
2. 12,110 रूपये नगद
3. 02 एंट्री रजिस्टर
4. 100 विजिटिंग कार्ड
5. अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद